

न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या- 05/2021

ईश्वरी मांझी (विक्रेता)

बनाम

विकास कुमार पासवान (क्रेता)

आदेश

30.9.21

प्रस्तुत वाद श्री ईश्वरी मांझी पिता-स्व० सोना मांझी, ग्राम- केडू, थाना+जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता श्री विकास कुमार पासवान, पिता- श्री सीताराम पासवान, ग्राम- माको, थाना+जिला- लातेहार के साथ मौजा-बारियातु खालसा, खाता संख्या-119 प्लॉट संख्या- 1134 रकबा-0.40 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति वाद से संबंधित प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, लातेहार से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

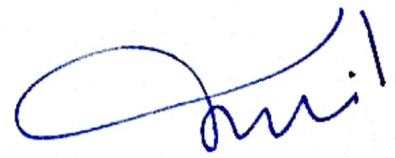
अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक- 131 दिनांक 19.03.2020 से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों दुसाध जाति के सदस्य हैं, तथा दोनों एक ही थाना व जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों अनुसूचित जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदक को अपनी पुत्री के शादी हेतु जरूरी कार्य के लिए रुपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री किये रुपये की व्यवस्था हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का खतियानी भूमि है तथा जमाबन्दी पिता (सोना मांझी) के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदानुसार आवेदक के पास कुल रकबा-01.44½ एकड़ भूमि है, जिसमें से आवेदक रकबा-0.40 (शून्य दशमलव चार शून्य) एकड़ भूमि बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास रकबा-1.04½ एकड़ भूमि शेष बचता है। इसके अतिरिक्त मौजा-केडू एवं हरखा में भी विक्रेता का भूमि होने का प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, लातेहार के अनुशंसा के आधार पर बिक्रेता श्री ईश्वरी मांझी पिता-स्व० सोना मांझी, ग्राम- केडू, थाना+जिला- लातेहार क्रेता श्री विकास कुमार पासवान, पिता- श्री सीताराम पासवान, ग्राम- माको, थाना+जिला- लातेहार के साथ मौजा-बारियातु खालसा, खाता संख्या-119 प्लॉट संख्या- 1134 रकबा-0.40 एकड़ (शून्य दशमलव चार शून्य) भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त, लातेहार।



उपायुक्त, लातेहार।